DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

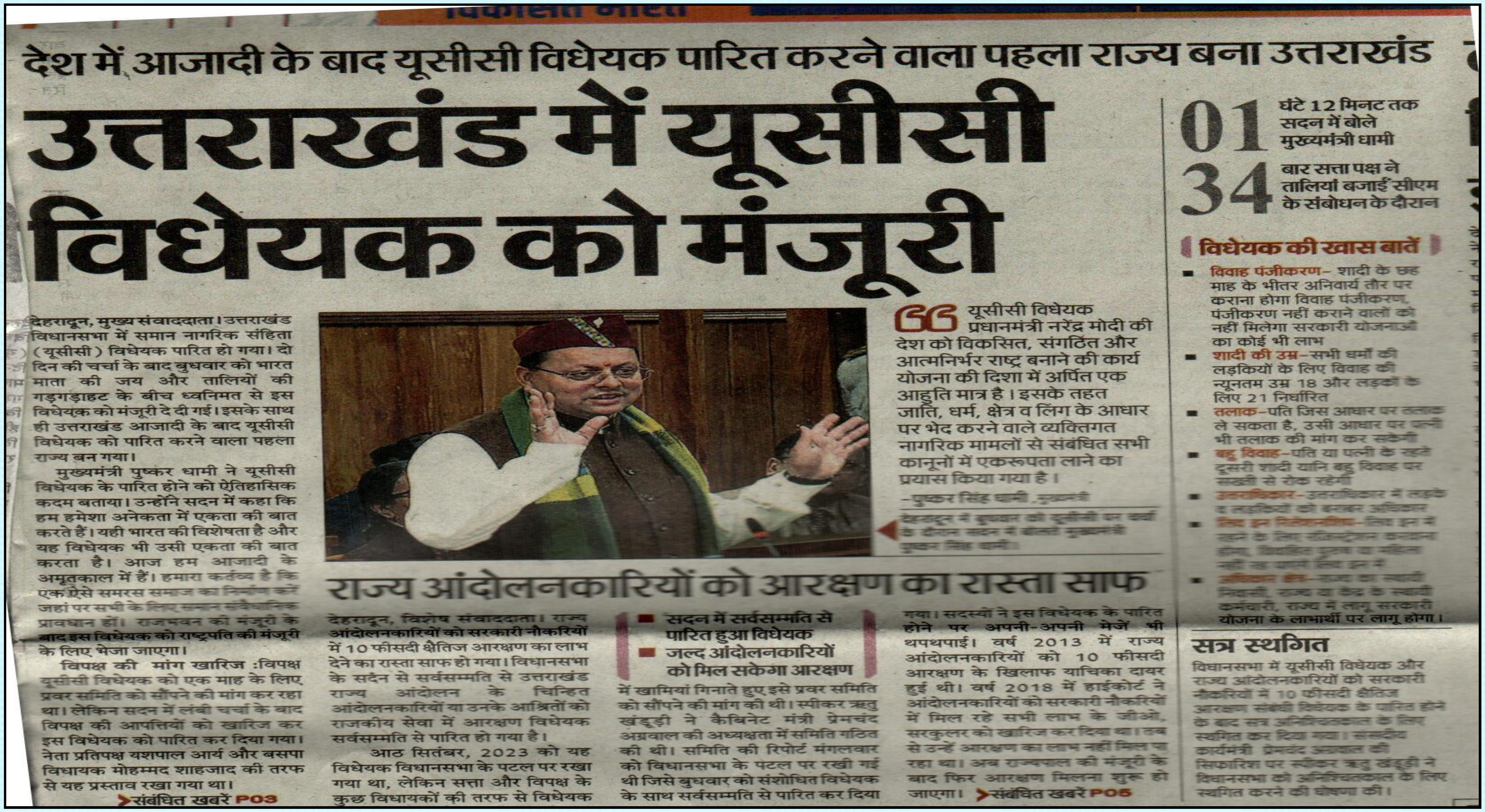

देश में आजादी के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक को मंजूरी

देहरादून, मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित हो गया। दो दिन की चर्चा के बाद बुधवार को भारत माता की जय और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यूसीसी विधेयक के पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने सदन में कहा कि हम हमेशा अनेकता में एकता की बात करते हैं। यही भारत की विशेषता है और यह विधेयक भी उसी एकता की बात करता है। आज हम आजादी के अमृतकाल में हैं। हमारा कर्तव्य है कि एक ऐसे समरस समाज का निर्माण करें जहां पर सभी के लिए समान संवैधानिक प्रावधान हों। राजभवन की मंजूरी के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

विपक्ष की मांग खारिज : विपक्ष यूसीसी विधेयक को एक माह के लिए प्रवर समिति को सौंपने की मांग कर रहा था। लेकिन सदन में लंबी चर्चा के बाद विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर इस विधेयक को पारित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और बसपा विधायक मोहम्मद शाहजाद की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था।

> संबंधित खबरें P03

> ❝ यूसीसी विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को विकसित, संगठित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की कार्य योजना की दिशा में अर्पित एक आहुति मात्र है। इसके तहत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।
>
> -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

◀ देहरादून में बुधवार को यूसीसी पर चर्चा के दौरान सदन में बोलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का रास्ता साफ

- सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ विधेयक
- जल्द आंदोलनकारियों को मिल सकेगा आरक्षण

देहरादून, विशेष संवाददाता। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का रास्ता साफ हो गया। विधानसभा के सदन से सर्वसम्मति से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

आठ सितंबर, 2023 को यह विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया था, लेकिन सत्ता और विपक्ष के कुछ विधायकों की तरफ से विधेयक में खामियां गिनाते हुए इसे प्रवर समिति को सौंपने की मांग की थी। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा के पटल पर रखी गई थी जिसे बुधवार को संशोधित विधेयक के साथ सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सदस्यों ने इस विधेयक के पारित होने पर अपनी-अपनी मेजें भी थपथपाई। वर्ष 2013 में राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर हुई थी। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में मिल रहे सभी लाभ के जीओ, सरकुलर को खारिज कर दिया था। तब से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद फिर आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा।

> संबंधित खबरें P05

01 घंटे 12 मिनट तक सदन में बोले मुख्यमंत्री धामी

34 बार सत्ता पक्ष ने तालियां बजाईं सीएम के संबोधन के दौरान

विधेयक की खास बातें

- **विवाह पंजीकरण–** शादी के छह माह के भीतर अनिवार्य तौर पर कराना होगा विवाह पंजीकरण, पंजीकरण नहीं कराने वालों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ
- **शादी की उम्र–** सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 निर्धारित
- **तलाक–** पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है, उसी आधार पर पत्नी भी तलाक की मांग कर सकेगी
- **बहु विवाह–** पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी यानि बहु विवाह पर सख्ती से रोक रहेगी
- **उत्तराधिकार–** उत्तराधिकार में लड़के व लड़कियों को बराबर अधिकार
- **लिव इन रिलेशनशिप–** लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, विवाहित पुरुष या महिला नहीं रह सकते लिव इन में
- **अधिकार क्षेत्र–** राज्य का स्थायी निवासी, राज्य या केंद्र के स्थायी कर्मचारी, राज्य में लागू सरकारी योजना के लाभार्थी पर लागू होगा।

सत्र स्थगित

विधानसभा में यूसीसी विधेयक और राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक के पारित होने के बाद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सिफारिश पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

News paper – Hindustan
Date – 8.02.2024